


206



न्यायालय राजहल मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र.

1

R 3955-16

श्रीमत्प्रेमचंद शर्मा, आदि

दिनांक दि. 24-11-16

प्रस्ताव

24-11-16

श्रीमत्प्रेमचंद शर्मा
24-11-2016

588
24-11-16

काशीराम यादव पुत्र हलकाई यादव
निवासी आलीपुरा तहसील छोठ नोगाँव
जिला उत्तरपुर म. प्र. --- आवेदक
विरुद्ध

महेश यादव तन्म आशाराम यादव
निवासी आलीपुरा ४ जोरन ४ तह. नोगाँव
जिला उत्तरपुर --- अनावेदक

2.

श्रीपत पुत्र पुन्लू कुशावाह मुस्मात भुवानीवाइ
बेवा अगवानदास कुशावाह

3.

छोठे वीरन पुत्र विटोरे कुशावाह

4.

गोरिलाल पुत्र हीरालाल कुशावाह

5.

ललनजू तन्म लछिया कुशावाह

समस्त निवासीगणा ग्राम जोरन तहसील
नोगाँव जिला उत्तरपुर म. प्र.

6.

म. प्र. शासन

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क , नये संशोधन अधि. 2011
म. प्र. भू रा स 1959 अधिशा दिनांक 10.10.16 द्वारा पारित
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला उत्तरपुर म. प्र. प्र. क्र.
160/अपील /2015-16 महेश यादव विरुद्ध काशीराम यादव के
निष्पत्ति से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,
आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

9/11/16


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3955-एक/2016

जिला छतरपुर

काशीराम विरूद्ध महेश व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 160/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p> (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य</p>